023/वीजीएल/035

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2023

परिपत्र सं 06/08/23

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का अनुपालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से निपटने के अपने अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई रणनीतियाँ अपनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन, जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान देने के साथ निवारक सतर्कता के प्राथमिक उपायों में से एक बना हुआ है तथा लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन उस सप्ताह में करता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इस वर्ष, आयोग ने निर्णय लिया है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 को **30 अक्तूबर 2023 से 5 नवंबर 2023** तक मनाया जाएगा।

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 की प्रस्तावना के रूप में, आयोग ने यह अपेक्षा की है कि सभी संगठन ध्यान दिए गए क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों के साथ **तीन माह का अभियान (16 अगस्त 2023 - 15 नवंबर 2023)** चलाएं।

क) लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पिडपी) संकल्प के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना,
ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम,
ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन,
घ) शिकायत निपटान में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेना ,
ड़) परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण,
च) 30.06.2023 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान।

उपर्युक्त 06 मापदंडों का संक्षिप्त विवरण इस परिपत्र के **अनुबंध क** में दिया गया है।

3. सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन, अभियान के दौरान विचारणीय परिणाम लाने के लिए सभी संबंधितों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तीन माह की अभियान अवधि के दौरान, ध्यान दिए गए क्षेत्रों के रूप में लिए जाने वाले छह निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, इन सभी के द्वारा **अनुबंध ग(i) से ग(vi)** में संलग्न प्रारूप के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को **8 दिसंबर 2023 (शुक्रवार)** तक भेज दी जाए।

4.	सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान अपनाया जाने वाला विषय और की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में आगामी अनुदेश आगे दिए गए हैं।

5.	यह जानकारी आयोग की वेबसाइट http://www.cvc.gov.in. पर भी उपलब्ध है।

ह०/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति,

i) भारत के मंत्रिमंडल सचिव
ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
iii) सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
iv) निदेशक, सीबीआई
v) प्रवर्तन निदेशक
vi) सभी सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/सोसाइटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
vii) मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईएस/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त संगठनों/सोसाइटियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी